

पत्रांक : 5प/राज्य स्कीम-02-01/2023/31(आ०)/पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

नजर हुसैन,
अपर सचिव

सेवा में,

सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 17/7/2025

विषय : वित्तीय वर्ष 2025-26 में जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के कार्यालय में कार्यरत कार्यपालक सहायक/डाटा इंट्री ऑपरेटर के मानदेय भुगतान हेतु कुल ₹14,09,76,000.00 (चौदह करोड़ नौ लाख छिहत्तर हजार रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य के सभी जिलों के जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के कार्यालय में अनुबंध/संविदा पर कार्यरत कार्यपालक सहायक/डाटा इंट्री ऑपरेटर के अवशेष आठ माह का मानदेय भुगतान हेतु कुल ₹14,09,76,000.00 (चौदह करोड़ नौ लाख छिहत्तर हजार रुपये) मात्र की राशि निम्नरूपेण आवंटित की जाती है :-

राशि रुपये में				
क्र०	जिला का नाम	प्रखंड स्तरीय कार्यपालक सहायक/डाटा इंट्री ऑपरेटर का मानदेय (कॉलम 3 x 33000 x 8 माह)	जिला स्तरीय कार्यपालक सहायक/डाटा इंट्री ऑपरेटर का मानदेय (33000 x 8 माह)	कुल राशि
1	2	3	4	5
1	अररिया	2376000.00	264000.00	2640000.00
2	अरवल	1320000.00	264000.00	1584000.00
3	औरंगाबाद	2904000.00	264000.00	3168000.00
4	बाँका	2376000.00	264000.00	2640000.00
5	बेगूसराय	4488000.00	264000.00	4752000.00
6	भागलपुर	4224000.00	264000.00	4488000.00
7	भोजपुर	3432000.00	264000.00	3696000.00
8	बक्सर	2112000.00	264000.00	2376000.00
9	दरभंगा	3960000.00	264000.00	4224000.00
10	गया	5544000.00	264000.00	5808000.00
11	गोपालगंज	3432000.00	264000.00	3696000.00
12	जमुई	2376000.00	264000.00	2640000.00
13	जहानाबाद	1848000.00	264000.00	2112000.00
14	कैमूर	2112000.00	264000.00	2376000.00

15	कटिहार	4224000.00	264000.00	4488000.00
16	खगड़िया	1584000.00	264000.00	1848000.00
17	किशनगंज	1848000.00	264000.00	2112000.00
18	लखीसराय	1848000.00	264000.00	2112000.00
19	मधेपुरा	3432000.00	264000.00	3696000.00
20	मधुबनी	5280000.00	264000.00	5544000.00
21	मुंगेर	1584000.00	264000.00	1848000.00
22	मुजफ्फरपुर	4224000.00	264000.00	4488000.00
23	नालंदा	4752000.00	264000.00	5016000.00
24	नवादा	3696000.00	264000.00	3960000.00
25	प० चम्पारण	4224000.00	264000.00	4488000.00
26	पटना	6072000.00	264000.00	6336000.00
27	पूर्वी चम्पारण	7128000.00	264000.00	7392000.00
28	पूर्णिया	3432000.00	264000.00	3696000.00
29	रोहतास	3960000.00	264000.00	4224000.00
30	सहरसा	2640000.00	264000.00	2904000.00
31	समस्तीपुर	5280000.00	264000.00	5544000.00
32	सारण	3960000.00	264000.00	4224000.00
33	शेखपुरा	1584000.00	264000.00	1848000.00
34	शिवहर	1320000.00	264000.00	1584000.00
35	सीतामढ़ी	4488000.00	264000.00	4752000.00
36	सिवान	4752000.00	264000.00	5016000.00
37	सुपौल	2904000.00	264000.00	3168000.00
38	वैशाली	4224000.00	264000.00	4488000.00
कुल		130944000.00	10032000.00	140976000.00

चौदह करोड़ नौ लाख छिहत्तर हजार रुपये मात्र

2. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिले के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे, जो राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से बिहार कोषागार सहित, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे।
3. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2025-26 में मांग संख्या-16 के राज्य स्कीम अंतर्गत "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघुशीर्ष-001-निदेशन एवं प्रशासन-उपशीर्ष-0102-जिला पंचायत की स्थापना" मद के विषय शीर्ष '0102.28.02-संविदा सेवाएँ' इकाई से किया जायेगा। इसका विपत्र कोड 16-2515000010102 है।
4. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं पत्रांक 227 दिनांक 28.03.2025 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
5. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि के व्ययोपरांत नियमानुसार व्यय

विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र यथाशीघ्र पंचायती राज विभाग को उपलब्ध करायेंगे। सभी कर्मियों को मानदेय अनुमान्य दर पर नियमानुसार भुगतान एवं आवश्यक कटौती करने का दायित्व संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को होगा। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. इस आवंटित राशि की निकासी हेतु वित्त विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

8. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

10. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/राज्य स्कीम-02-01/2023 के पृष्ठ संख्या78/टि० पर दिनांक 10/07/2025 को प्राप्त है।

11. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/राज्य स्कीम-02-01/2023 के पृष्ठ संख्या ... 79/टि० पर दिनांक 14/07/2025 को प्राप्त है।

12. इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ अपर सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।



विश्वासभाजन
(नज़र हुसैन)
अपर सचिव

B. 2 10/07/2025

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम-02-01/2023/31(आप)/पं०रा०पटना, दिनांक 17/7/25
प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/संबंधित जिला
पदाधिकारी/संबंधित मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/संबंधित जिला
कोषागार, पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-03, 05 एवं 07 (उपयोगिता प्रमाण
पत्र कोषांग), पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई
हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन)
17/7/25

अपर सचिव

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम-02-01/2023/31(आप)/पं०रा० पटना, दिनांक 17/7/25
प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं
विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन)
17/7/25

अपर सचिव

ह